

20.5.77
12/11

मूल निवासी का प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमति, कुमारी --
महेन्द्रा कुमारी -- आत्मज, आत्मजा, प्रपत्नि दुर्गा प्रसाद
ग्राम कारुण्य -- तहसील वाराणसिनी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश
का निवासी है, क्योंकि वह

1. मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, हुआ है।

अथवा
2. वह बालक-वय, अभिभावक मध्य प्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा
3. उस के मातापिता में कोई राज्य शासन का सेवार्थ, सेवानिवृत्त कर्मचारी है।

अथवा
4. उस के मातापिता में कोई मध्य प्रदेश में सेवार्थ है।

अथवा
5. वह स्वयं अथवा उस के मातापिता राज्य में किसी मांच बाजारी से अवलम्बित उद्योग व्यवसाय रतनी है।

इस अतिरिक्त अथवा

1- उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्षों तक प्राप्त की है।

अथवा
2- उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी भी संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है :-

कि उच्चतर माध्यमिक शाला की परीक्षा पास।

पिछा आठवी कक्षा की परीक्षा पास

पिछा बाधी कक्षा की परीक्षा पास

टीप - जो जगह लाने की उरी काट दिया जाय।

वाराणसिनी
दिनांक :- 11/11/77



Pa
तहसीलदार
वाराणसिनी
7-11-77